



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्र. /निग./अशोकनगर/भू.रा./2017/

मि।/गवालियर। अशोकनगर। भू.रा। २०१७। १८७६

मि। गवालियर। २५-६-१७ को

मुख्य न्यायालय स्व.रा.
गवालियर। अशोकनगर।

बता
२५-६-१७
S.O

Lakhan Singh Dhakar
Advocate
25.06.17

- 1- ऊषा सिकरवार वेवा राजकुमार सिंह
सिकरवार, आयु 58 वर्ष, व्यवसाय खेती
शिवप्रताप सिंह सिकरवार पुत्र स्व.राजकुमार
आयु 35 वर्ष, निवासीगण- पचमढी कॉलौनी,
चंदेरी, जिला अशोकनगर म.प्र.
- 2- श्रीमती कृष्णा तोमर पुत्री स्व राजकुमार, पत्नी।
अजय प्रताप सिंह तोमर, आयु 35 वर्ष
व्यवसाय गृहकार्य निवासी- तालपुरा, जिला
ललितपूर (उत्तरप्रदेश)
- 3- श्रीमती मीनाक्षी कुशवाह पुत्री स्व श्री
राजकुमार, पत्नी संदीप सिंह कुशवाह, आयु
26 वर्ष, व्यवसाय गृहकार्य निवासी- बी/८०/
आनंद नगर ग्वालियर म.प्र.
- 4- श्रीमती मीनाक्षी कुशवाह पुत्री स्व श्री
राजकुमार, पत्नी संदीप सिंह कुशवाह, आयु
26 वर्ष, व्यवसाय गृहकार्य निवासी- बी/८०/
आनंद नगर ग्वालियर म.प्र.

बनाम

प्रमोद सिंह सिकरवार पुत्र श्री महेन्द्रसिंह
सिकरवार आयु 46 वर्ष, निवासी- राधा हाई
स्कूल संजय कॉलौनी मुरैना म.प्र.

..... अनावेदक

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व सहिता

1959 न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय परगना चंदेरी,

जिला अशोकनगर के प्रकरण क्र. 13/अपील/14-15 में पारित

आदेश दिनांक 08.06.2017 के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत है:-

✓

य
ई।
पेश
पेश
पेश
1 से
कार
त्रा में
रा 5
गया
ताता है
न्तर्गण
तुत की

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-तीन/निग./अशोकनगर/भू.रा./2017/1896

ऊषा सिकरवार आदि विरुद्ध प्रमोद सिंह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्ष
१८/६/१९	<p>प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी परगना चंदेरी, जिला अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक:- 13/अप्रैल/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 08/06/2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह निगरानी सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला अशोकनगर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 05/8/19 को कलेक्टर जिला अशोकनगर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p>(आर0वें जैन) १८/६/१९</p> <p>सदस्य</p> <p>3</p>	